भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3928
(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

कंपनियों की धारिता संबंधी मानदंड

3928. श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कंपनियों को धारिता संबंधी मानदंडों को पूरा करना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन कंपनियों के प्रवर्तकों को जून, 2013 तक 26000 करोड़ रुपए के शेयर बेचने की जरूरत है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : दिनांक 12.3.2013 की स्थिति के अनुसार कुल 190 ऐसी कंपनियां हैं (14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) तथा 176 गैर-पीएसयू कंपनियां) जिनमें सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के तहत अधिदेशित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) अपेक्षा से कम है।
(ग): स्टॉक एक्सचेंजों दवारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 29,650 करोड़ रुपए का विनिवेश किया जाना है। इस राशि में इन कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।
(घ): सेबी ने एससीआरआर के नियम 19(2)(ख) तथा 19(क) के अनुसार एमपीएस अपेक्षा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित तरीके निर्दिष्ट किए हैं:-

i. विवरणी के माध्यम से आम जनता को शेयर जारी करना;
ii. विवरणी के माध्यम से प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर की बिक्री का प्रस्ताव आम जनता को देना;
iii. प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों की द्वितीयक बाजार के माध्यम से बिक्री अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ओएफएस;
iv. संस्थागत नियोजन कार्यक्रम (आईपीपी);
v. प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह शेयरधारकों द्वारा अपने राइट्स हकदारियों को छोड़कर सार्वजनिक शेयरधारकों को राइट्स इश्यू जारी करना;
vi. प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह शेयरधारकों द्वारा अपने बोनस हकदारियों को छोड़कर सार्वजनिक शेयरधारकों को बोनस इश्यू जारी करना;
vii. सेबी द्वारा मामला दर मामला आधार पर अनुमोदित कोई अन्य तरीका।

सेबी ने दिनांक 29.08.2012 के परिपत्र के माध्यम से यह विहित किया है कि किसी अन्य तरीके से एमपीएस अपेक्षाएं प्राप्त करने के इच्छुक सूचीबद्ध निकाय सेबी से संपर्क कर सकते हैं। उपर्युक्त परिपत्र में यह भी उद्धृत है कि उपलब्ध तरीकों से कोई छूट प्राप्त करने के इच्छुक सूचीबद्ध निकाय उपयुक्त विवरणों के साथ सेबी से संपर्क कर सकते हैं।

गैर-पीएसयू कंपनियों हेतु एमपीएस अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना लाने तथा सभी बकाया मामले निपटाने के लिए सेबी ने एमपीएस अपेक्षा पूरा नहीं करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

*****